

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र
क्रम सं० 28
समय 11:40
तिथि 23/4/14
आर०ओ०-1-बीएस/विनगर
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

नामनिर्देशन-पत्र
लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम

..... उसका डाक पता

..... उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है ।

मेरा नाम है जो संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं०

..... में क्रम सं० पर प्रविष्ट है ।

तारीख

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

भाग- 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए 01. वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन
क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम उमर साहनी

पिता/माता/पति का नाम विश्वनाथ साहनी

उसका डाक पता ग्राम- इन्दानगर, डाकखाना- धाना + प्रखण्ड- रामनगर पंचायत

उसका नाम 01. वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र * [में समाविष्ट 02. रामनगर विधान
सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 66 में क्रम सं० 526 पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम
उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस
नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	02, रामनगर	70	750	श्रीकर राम		22-4-014
2	02, रामनगर	61	777	लाल बाबू प्रसाद		22-4-014
3	02, रामनगर	111	109	रजनीका पुरी		22-4-014
4	02, रामनगर	111	759	रमेश चौधरी		22-4-014
5	02, रामनगर	111	758	सन्तोष चौधरी		22-4-014
6	02, रामनगर	111	40	विनय साह		22-4-014
7	02, रामनगर	66	240	रितिका कुमार		22-4-014
8	02, रामनगर	34	247	धनंजय चौधरी		22-4-014
9	02, रामनगर	34	246	सुमन चौधरी		22-4-014
10	02, रामनगर	34	1290	दारीका चौधरी		22-4-014

कृपया ध्यान दें :- प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग- 3

मैं, भाग-1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 38 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में शुन्य दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में भारतीय रूढ़िवादी दल दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने है वे अधिमान क्रम में (i) फूलगोभी

(ii) शुन्य (iii) शुन्य है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/मति का नाम ऊपर देवनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं *जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो शून्य
राज्य के उस राज्य में के शून्य (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित शून्य
**जाति/जनजाति है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा ।

तारीख २२-०४-२०१४

अमर सक्सी
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग- 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हाँ/ नहीं

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है - नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक शून्य
- (ii) पुलिस थाना (थाने) शून्य
जिला (जिले) शून्य
राज्य शून्य
- (iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था शून्य
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) शून्य
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिनोंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था शून्य

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें
 शुन्य
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) शुन्य
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हैं / नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टता :- शुन्य
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- शुन्य
-
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित है शुन्य
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शुन्य
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति शुन्य

स्थान :- जैतिपा

तारीख :- 22-04-2014

अमर सहर्ष

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग- 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- 28

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 23-4-14 (तारीख) को 11.40 AM (बजे) *अभ्यर्थी / प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख 23/4/2014

(रिटनिंग आफिसर)
 31-अभ्यर्थी/प्रस्तावक

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग- 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

(रिटनिंग आफिसर)



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, DISSE & PROMOTION DEPT.
WEST CHAMPARAN SCORE BETTA

COURT फी 26

Authorization No. 599

(नियम 4क देखिए)



STAMP DUTY

00000

Rs. 0000100

375349

India *Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Zero



SANJAY KUMAR
NOTARY PUBLIC
BETTIAH, W. Champaran

105/2

3689
22.4.14

01, वाल्मीकिनगर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

AUTHORITARY

Under Notaries Act & Rules

1970 of 1930 C.A.

मैं अमर साहनी पुत्र/पुत्री/पत्नी विश्वनाथ साहनी आयु 38 वर्ष,
जो ग्राम- इन्द्रानगर, डाकखाना- रामनगर, ब्लॉक- प्रताप- रामनगर, पंचायत- चम्पाण
(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/
करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं भारतीय रूढ़िवादी दल (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक
स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 02, रामनगर, विहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 66 के
क्रम सं० 526 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं मौ. नं. - 9973074858
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है शुन्य
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शुन्य

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रार्थना :-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रुपए में)
1.	स्वयं अमर साहनी	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2.	प्रति या पत्नी आशा देवी	शुन्य	शुन्य	शुन्य
3.	आश्रित-1 धर्मेन्द्र कुमार	शुन्य	शुन्य	शुन्य
4.	आश्रित-2 नागेन्द्र कुमार	शुन्य	शुन्य	शुन्य
5.	आश्रित-3 चंदन कुमार	शुन्य	शुन्य	शुन्य



(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन्प	✓
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुन्प	✓
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्प	
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शुन्प	
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन्प	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शुन्प	✓

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद

(i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्प	✓
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शुन्प	
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शुन्प	✓

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुन्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	शुन्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शुन्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	शुन्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50,000-00	5,000-00	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय	क्रौ. ऑपरेरील बैंक खाता- रोमनगर 1,000-00	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जमा 2,50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और नूत्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सौना का अंगूठी दोमरा लगेमारा 10,000/-	सौना-5मरा दोमरा लगेमारा 1,30,000/- सैरी-50मरा दोमरा-20,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	3,11,000/-	1,55,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	तीन वीधा एक टुकड़ा में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	4.06	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या, नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	दो कमरा का	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	रनपड़ा पोस्ट				
		मकान				
		एक दहाइसठवां				



क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हां	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	21,000000	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	कोई अन्य दायित्व	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	दायित्वों का कुल योग	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

	विभाग को शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	आय-कर शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	धनकर शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सेवाकर शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विक्रयकर शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	कोई अन्य शोध	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं समाज सेवा
(ख) प्रति या पत्नी गृहिणी

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

स्नातक

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरों का उद्धरण

1	अर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुम <u>उमर सारणी</u>
2	डाक का पूरा पता	<u>ग्राम-बन्धानगर, डाकखाना-रामनगर, थाना-प्रवरुड-रामनगर, पंचमाला पिनकोड-845106</u>
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>01, वाल्मीकिनगर, बिहार</u>

4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा "स्वतंत्र" लिखें)	भारतीय रूक्ता दल				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर मंद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]	शून्य				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांत उद्घाटित किया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य				
7	शून्य का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ख) प्रेक्षित या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	प्रेक्षित या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	3,11,000 = ००	1,55,000 = ००	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थायी आस्तियां	21,00,000 = ००	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	21,00000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9		दायित्व					
	i	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	i	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता:					
		साक्षर					
		(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी प्रतीति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 22-04-2014 को सत्यापित किया गया।

अमर सहनी

अभिसाक्षी

Advocate

En.No. 8593/93

22/4/14

टिप्पण:

टिप्पण:

टिप्पण:

टिप्पण:

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग नजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं.....

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....